बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–04–06/2019(स्वा0)...../ पटना, दिनांकः–.....

डा0 श्रीशंकर राय (कोटि क्रमांक–5454/2008), तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध दिनांक–08.09.2001 से 10.01.2017 तक (दिनांक–23.05.2005 को छोड़कर) अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0–1100(9) दिनांक–05.11.2024 द्वारा उपदान सहित शत प्रतिशत पेंशन की राशि स्थायी रूप से जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी थी।

2. समादेश याचिका सं0–859/2022 में कानूनी वारिसों को शामिल करने हेतु अंतरिम आवेदन (IA) सं0–1/2024 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सुनवाई के क्रम में ज्ञात हुआ कि डा0 राय का निधन दिनांक–13.01.2024 को हो चुका है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र सं0–8811 दिनांक–18.07.2017 द्वारा प्रावधानवित है कि **"विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा"**।

4. अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के उपरोक्त प्रावधान के आलोक में स्व० (डा0) श्रीशंकर राय, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढा, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत की मृत्यु दिनांक–13.01.2024 को हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1100(9) दिनांक–05.11.2024 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को निरस्त करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने के साथ–साथ दिनांक–01.09.2001 से 10.01.2017 तक या जो भी विचारार्थ अनधिकृत अनुपस्थित अवधि है, उसके लिए No Work No Pay और दिनांक–01.09.2001 के वेतन के आधार पर नियमानुसार सेवांत लाभों का भुगतान करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–06/2019(स्वा0)...../पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–06/2019(स्वा0) 1435(9B) **/पटना, दिनांकः–** 05.10.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।
30/09/2026

(15)

ज्ञापांकः–9/आ0–04–06/2019(स्वा0) 1435(9B) /पटना, दिनांकः– 05.10.26

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, लखीसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रशाखा–2A को निदेश दिया जाता है कि स्व० (डा0) श्रीशंकर राय के सेवांत लाभ के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

प्रतिलिपिः–स्व० (डा0) श्रीशंकर राय, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/09/2026

सरकार के अवर सचिव।